कार्यालय अंचल अधिकारी, पीरटाँड़।

आदेश फलक

अभिलेख संख्याः– 02/21-22

वाद का प्रकारः– विविध वाद

ऑनलाइन

केस सं - 03/21-22

रंजीत प्रसाद श्रीवास्तव बनाम शम्भूलाल प्रसाद, जगरनाथ प्रसाद

13.8.2021 यह अभिलेख आवेदक रंजीत प्रसाद श्रीवास्तव पिता चन्द्रदेव प्रसाद, साकिन टूण्डी रोड, गिरिडीह द्वारा समर्पित आवेदन पर खोला गया है। आवेदक द्वारा आवेदन में कहा गया है कि मौजा पत्थलघटिया थाना न0 76, थाना पीरटांड़ के खाता न0 4, 8, 15 प्लॉट न0 28,29,30,31,32,33,95,66,199,200,141,27 कुल रकवा 5.60 ए0 भूमि चन्द्रदेव प्रसाद पिता प्यारेलाल ने ईश्वरी प्रसाद मुख्तार पिता मुंशी केदार नाथ सहाय साकिन पचंबा, गिरिडीह द्वारा कय किया था। आवेदक केता के एक मात्र पुत्र हैं इस आधार पर वे इस भूमि पर अपना दावा कर रहे हैं। इसी भूमि को फर्जी तरीके से मेरे चचेरे भाई शम्भू लाल एवं जगरनाथ प्रसाद द्वारा अपना नाम अंचल कार्यालय के पंजी II में दर्ज करवा लिया गया है। आवेदक जब मालगुजारी अदाय करने के लिए राजस्व उप निरीक्षक से सम्पर्क किया गया तो उन्होने बताया कि आपके पिता के नाम केवल 1.90 ए0 ही दर्ज है एवं इसी भूमि का ही मालगुजारी अदाय की जायगी। इस आवेदन पर राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें एवं अभिलेख 27.08.2021 को उपस्थापित करें।

13/8/2021

अंचल अधिकारी,
पीरटांड़।

27.08.2021 अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त है। पुनः राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक को जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने के स्मारित करें। अभिलेख दिनांक 14.09.2021 को उपस्थापित करें।

27/8/2021

अंचल अधिकारी,
पीरटांड़।

14.09.2021 अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदनानुसार वादगत भूमि मौजा पत्थलघटिया, थाना न0 76 के खाता न0 4, प्लॉट न0 28,29,30,31,32,33,95 रकवा 1.93 ए0, खाता न0 8, प्लॉट न0 66,199,200 रकवा 1.80 ए0 एवं खाता न0 15, प्लॉट न0 27,141 रकवा 1.87 ए0, तीनों खातों का कुल रकवाव 5.60 ए0 भूमि, जो हाल सर्वे खतियान अनुसार रैयती खाते की दर्ज है।

वादगत भूमि पर चन्द्रदेव प्रसाद पिता प्यारेलाल के नाम पंजी II के पृष्ठ सं0 4/1 में खाता न0 4,8,15 में कुल रकवा 1.90 ए0 कायम है एवं वादगत खाते में केदार प्रसाद पिता प्यारेलाल के नाम पंजी II के पृष्ठ सं0 157/1 में खाता न0 4,8 में कुल रकवा 3.70 ए0 कायम है एवं राजस्व उप निरीक्षक/ अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि उभय पक्षकार को नोटिस कर दस्तावेज की मांग की जा सकती है। उभय पक्षकारों को नोटिस निर्गत करें एवं दस्तावेज की मांग करें। अभिलेख दिनांक 29.09.2021 को उपस्थापित करें।

9/2021

अंचल अधिकारी,
पीरटांड़।

Scanned with CamScanner

29.09.2021 उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने भूमि से संबंधित राजस्व दस्तावेज की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया। अभिलेख दिनांक 21.10.2021 को उपस्थापित करें।

29/9/2021
अंचलाधिकारी,
पीरटांड़।

21.10.2021 उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने राजस्व दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख दिनांक 08.11.2021 को उपस्थापित करें।

21/10/2021
अंचलाधिकारी,
पीरटांड़।

08.11.2021 उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गई है। अभिलेख दिनांक 23.11.2021 को उपस्थापित करें।

8/11/2021
अंचलाधिकारी,
पीरटांड़।

23.11.2021 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्षकार के द्वारा उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों की छायाप्रति समर्पित किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार केवाला सं0 7248 दिनांक 07.07.1957 विकेता श्री इश्वरी प्रसाद वल्द मुंशी केदार नाथ साकिन पंचबा, गिरिडीह द्वारा केता श्री चन्द्रदेव प्रसाद वल्द प्यारेलाल साकिन पत्थलघटिया थाना पीरटांड, को खाता न0 4 प्लॉट न0 28,29,30,31,32,33,95 रकवा 1.93 ए0, खाता न0 8, प्लॉट न0 66,199,200 रकवा 1.80 ए0 एवं खाता न0 15, प्लॉट न0 27,141 रकवा 1.87 ए0, तीनों खातों का कुल रकवाव 5.60 ए0 भूमि विकय किया गया है। आवेदक के अनुसार, जिसकी जमाबंदी चन्द्रदेव प्रसाद पिता प्यारेलाल के नाम पर चल रही थी। उस भूमि की जमाबंदी गलत तरीके से द्वितीय पक्षकार शम्भू लाल एवं जगरनाथ प्रसाद पिता केदार प्रसाद के द्वारा केदार प्रसाद पिता प्यारेलाल के नाम दर्ज करवा ली गई है। द्वितीय पक्षकार के द्वारा एक निबंधित केवाला सं0 अस्पष्ट दिनांक 29.12.1972 प्रस्तुत किया गया है जिसमें विकेता श्री चन्द्रदेव प्रसाद वल्द प्यारेलाल साकिन गिरिडीह एवं केता केदार प्रसाद वल्द प्यारेलाल साकिन पत्थलघटिया थाना पीरटांड दर्ज है। भूमि का विवरण में खाता न0 4 प्लॉट न0 28,29,30,31,32,33,95 रकवा कमशः 0.39, 0.96, 0.02, 0.01, 0.01, 0.13, 0.41 कुल रकवा 1.93 ए0 एवं खाता न0 8 प्लॉट न0 36, 200 रकवा कमशः 1.57, 0.20 कुल रकवा 1.77 दोनों खातों का कुल रकवा 3.70 ए0 भूमि विकय किया गया है। जिसकी जमाबंदी केदार प्रसाद पिता प्यारेलाल के नाम पंजी II के पृष्ठ सं0 157/1 पर चल रही है।

Scanned with CamScanner

प्रथम पक्षकार द्वारा बताया गया कि चन्द्रदेव प्रसाद मेरे पिता जी थे उनके द्वारा किसी को भी वादगत भूमि का विकय नहीं किया गया है। द्वितीय पक्षकार द्वारा, जो केवाला की छायाप्रति प्रस्तुत की जा रही है वह फर्जी है एवं निबंधन कार्यालय, गिरिडीह में इसकी सत्यापित प्रति मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं किया गया है जिससे केवाला की सत्यता साबित नहीं किया जा सकता है। अतः द्वितीय पक्षकार के पिता केदार प्रसाद वल्द प्यारेलाल के नाम चल रही जमाबंदी को रद्द करते हुए मेरे पिता चन्द्रदेव प्रसाद वल्द प्यारेलाल की जमाबदी जो 5.60 ए0 से घटाकर 1.90 कर दिया गया है, उसे संशोधित कर द्वितीय पक्ष की जमाबंदी को रद्द किया जाय।

द्वितीय पक्षकार द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत केवाला सही है एवं वादगत भूमि सही तरीका से उनके पिता केदार प्रसाद वल्द प्यारेलाल ने कय किया है। जिसकी जमाबंदी उनके पिता के नाम पर चल रही है।

उभय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जॉच करने पर पाया गया कि चन्द्रदेव प्रसाद वल्द प्यारेलाल ने इश्वरी प्रसाद वल्द मुंशी केदार नाथ से जो जमीन कय किया है उसका विवरण खाता न0 4, प्लॉट न0 28,29,30,31,32,33,95 रकवा 1.93 ए0, खाता न0 8, प्लॉट न0 66,199,200 रकवा 1.80 ए0 एवं खाता न0 15, प्लॉट न0 27,141 रकवा 1.87 ए0, तीनों खातों का कुल रकवाव 5.60 ए0 दर्ज है। द्वितीय पक्षकार के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में केता केदार प्रसाद वल्द प्यारेलाल साकिन पत्थलघटिया थाना पीरटांड द्वारा विकेता चन्द्रदेव प्रसाद वल्द प्यारे लाल से जो भूमि कय किया है। खाता न0 4 प्लॉट प0 28,29,30,31,32,33,95 रकवा कमशः 0.39, 0.96, 0.02, 0.01, 0.01, 0.13, 0.41 कुल रकवा 1.93 ए0 एवं खाता न0 8 प्लॉट न0 36, 200 रकवा कमशः 1.57, 0.20 कुल रकवा 1.77 दोनों खातों का कुल रकवा 3.70 ए0 भूमि कय किया गया है।

उभय पक्ष के दस्तावेजों के अनुसार खाता न0 4 के सम्पूर्ण भूमि एवं खाता न0 8 में प्लॉट न0 36 एवं प्लॉट न0 200 का विकय द्वितीय पक्षकार को किया जा चुका है जिसकी जमाबंदी द्वितीय पक्षकार के पिता केदार प्रसाद वल्द प्यारेलाल के नाम चल रही है। खाता न0 15 प्लॉट न0 27 एवं 141 कुल रकवा 1.87 ए0 द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत निबंधित दस्तावेज में दर्ज नहीं है इस प्रकार इसका विकय प्रथम पक्ष के द्वारा नहीं किया गया है। खाता न0 8 में प्रथम पक्षकार के केवाला में प्लॉट न0 66, 199 और 200 कुल रकवा 1.80 ए0 दर्ज है, परन्तु द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत निबंधित दस्तावेज में प्लॉट न0 36 ,200 में रकवा कमशः 1.57 एवं 0.20 ए0 दर्ज है। इससे प्रथम पक्ष द्वारा विकय अपने कय किये गये भूमि से इतर भूमि का विकय किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के विचारण के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि खाता न0 4 के सम्पूर्ण भूमि का विकय किया जा चुका है। खाता न0 8 में प्लॉट न0 36 एवं प्लॉट न0 200 का विकय प्रथम पक्षकार द्वारा किया गया है, जो उनके खरीदे गये भूमि खाता न0 8 प्लॉट न0 66, 199, 200 कुल रकवा 1.80 ए0 से इतर एवं विवादित है। खाता न0 15 प्लॉट न0 27,141 कुल रकवा 1.87 का विकय द्वितीय पक्षकार के द्वारा नहीं किया गया है।

Scanned with CamScanner

अतः प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार खाता न0 15 प्लॉट न0 27,141 कुल रकवा 1.87 ए0 आवेदक/प्रथम पक्षकार का दावा सही है, खाता न0 4 प्लॉट न0 28,29,30,31,32,33,95 रकवा कमशः 0.39, 0.96, 0.02, 0.01, 0.01, 0.13, 0.41 कुल रकवा 1.93 ए0 पर द्वितीय पक्ष का दावा सही है, एवं खाता न0 8 अंतर्गत प्लॉट उभय पक्षकारों के दस्तावेजों के अनुसार भिन्नता होने के कारण इस खाते की भूमि विवादित है। जिसके समाधान के लिए उभय पक्षकार सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।

23/11/2021

अंचल अधिकारी,
पीरटांड।

Digitally signed by BINAY PRAKASH TIGGA
Date: 2022.06.09 14:20:50 +05:30
Location: 172.20.10.4

Scanned with CamScanner